1996-97 and the Audit Report thereon.

(c) Review by the Government on the working of the above Institute.

(d) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) and (b) above.

[Placed in Library, *See* No. LT-1408/98]

(v) (a) Annual Report and Accounts of the National Institute of Unani Medicine, Bangalore, for the year 1996-97, together with the Auditors' Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library, *See* No. LT-1407/98]

Notifications of the Ministry of Human Resource Development and Report and Accounts (1996-97) of various Educational and Training Institutes and Universities.

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

I. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 की धारा 40 की उपधारा (2) के अधीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय की निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):—

(i) निदेशकों की विद्यापीठों के निदेशकों के अलावा) परिलब्धियों, सेवा की अवधि और शर्तें और उनकी शक्तियों और उनके कार्य संबंधी अध्यादेश को प्रकाशित करने वाली सा०का०नि० सं० 19, दिनांक 4.1.97।

(ii) दीक्षांत समारोहों संबंधी अध्यादेशों में संशोधन/परिवर्धन को प्रकाशित करने वाली सा०का०नि० सं० 370 दिनांक 31.8.96।

(iii) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को हटाने संबंधी संविधि 19 में संशोधन को प्रकाशित करने वाली सा०का०नि० सं० 387, दिनांक 14.9.96

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 1355/98]

II. (1) बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1994 की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):—

(i) 1996-97 के वर्ष के लिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ का पहला वार्षिक प्रतिवेदन।

(ii) उपर्युक्त विश्वविद्यालय के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) ऊपर (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (अंग्रेजी तथा हिन्दी में)।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 1011/98]

III. (1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 18 के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):—

(i) 1996-97 के वर्ष के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन।

(ii) उपर्युक्त आयोग के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) ऊपर (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (अंग्रेजी तथा हिन्दी में)।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 1302/98]

IV. निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):—

(i) (क) 1996-97 के वर्ष के लिए साहित्य अकादमी, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सहित।

(ख) उपर्युक्त अकादमी के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ग) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 1359/98]

(ii) (क) 1996-97 के वर्ष के लिए बोर्ड आॅफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, चेन्नई का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सहित।

(ख) उपर्युक्त बोर्ड के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ग) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 1356/98]

(iii) (क) 1996-97 के वर्ष के लिए बोर्ड आॅफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, मुम्बई का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सहित।

(ख) उपर्युक्त बोर्ड के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ग) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 1357/98]

(iv) (क) 1996-97 के वर्ष के लिए नेशनल काउन्सिल फार टेक्निकल एज्युकेशन, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन।

(ख) 1996-97 के वर्ष के लिए नेशनल काउन्सिल फार टेक्निकल एजुकेशन, नई दिल्ली के वार्षिक लेखे, और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(ग) उपर्युक्त काउन्सिल के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(घ) उपर (क) और (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 989/98]

(v) (क) 1996-97 के वर्ष के लिए सेन्टर फार कल्चरल रिसोरसेज एंड ट्रेनिंग, नई दिल्ली का वार्षिक

प्रतिवेदन और लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन सहित।

(ख) उपर्युक्त सेन्टर के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 1358/98]

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबूलाल मरांडी) सभापति महोदय। मैं आपकी अनुमति से निम्न लिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(i) (क) 1996-97 के वर्ष के लिए अण्डमान एंड निकोबार आइलैन्डपस फारेस्ट एंड प्लाकंटेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिड, पोर्ट ब्लेयर का बीसवां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख) उपर्युक्त कारपोरेशन के कार्यकरण की सरकार द्वारा सहित।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 1361/98]

(14)1992-93 (क) के वर्ष के लिए वेस्ट बंगाल फारस्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता का उन्नीसवां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख) उपर्युक्त कारपोरेशन के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

II. ऊपर (I) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाले वितरण (अंग्रेजी तथा हिन्दी में)

[पुस्तकालयमें रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 1494/98]

I. Report and Accounts (1996-97) of Andaman and Nicobar Island forest and plantation Development Corp. Ltd. Port Blair & related Papers.

II. Report and Accounts (1992-93) of West Bengal forest Development Corp. Ltd; Calcutta & related paper.

I. Report and Accounts (1995-96) of Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd., Gurgaon (Haryana) & related Papers.

II. Report and Accounts (1996-97) of Smith Stanistreet Pharmaceuticals Ltd. Calcutta & related Papers.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (DR. A. K. Patel): Sir, I lay on the Table—

A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under subsectioin